गोरधन बनाम केसरबाई वगैरह

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-1-2024	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-2-2024 को पेश हो। रीडर	
20-2-2024	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27-2-2024 को पेश हो। रीडर	
27-2-2024	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-3-2024 को पेश हो। रीडर	
12-3-2024	वकील उभयपक्ष उप०। विभाजन स्कीम पर बहस सुनी गई। विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने पर वकील उभयपक्ष ने बहस के दौरान सहमति दी। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 19-3-2024 को पेश हो।	
19-3-2024	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-3-2024 को पेश हो। रीडर	
26-3-2024	वकील उभयपक्ष उप०। तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

निर्णय न्यायालय श्री अनूप सिंह, आर0ए0एस0, उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
90/2021	21.9.2021	26.3.2024

गोरधन पुत्र हजारी, बैरवा निवासी नेहरू कोलोनी, गंगापुर सिटी ---वादी

बनाम

1. केशरबाई पत्नी रामभरोसी, रैगर निवासी कोटा
2. पूजा पुत्री सुरेश, रैगर निवासी कोटा
3. मंजू पुत्री रमेश, रैगर निवासी कोटा
4. मनोहरी पुत्र किशोरी, बैरवा निवासी मोर की झौंपडी भरतून तह. सपोटरा
5. माया पुत्री भगवानदास, रैगर निवासी हिण्डौन
6. मिश्री पुत्री भगवानदास, रैगर निवासी हिण्डौन
7. मोनाबाई पत्नी सुरेश, रैगर निवासी हिण्डौन
8. यशोदा पुत्री रामभरोसी, रैगर निवासी कोटा
9. सावित्री देवी पुत्री रामभरोसी, रैगर निवासी कोटा
10. हेमराज पुत्र भगवानदास, रैगर निवासी मिर्जापुर
11. हरिचरण पुत्र भगवानदास, रैगर निवासी मिर्जापुर
12. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :--श्री मोहम्मद इस्लाम खान, एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री आर0के0 मिश्र, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र वादी ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि हाल ख0नं0 924 रकबा 1.00 है0, ख0नं0 927 रकबा 1.09 है0, ख0नं0 929 रकबा 0.09 है0 ग्राम हिंगोट्या में स्थित है। पक्षकारान ने करीब 7-8 साल पहले मौके पर आपसी सहमति से भूमि का विभाजन कर रखा है एवं मौके पर अपने हिस्से में आई भूमि पर वादी ने काफी रूपया खर्च कर इसे काबिल काश्त बनाया है लेकिन अब प्रतिवादीगण की नियत खराब हो चुकी है एवं वे भूमि का विभाजन कराए बिना ही इस भूमि को विक्रय करना चाहते हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के इस भूमि में सहखातेदार बने रहने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन विवाद होते रहते हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया कि पहले भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करवा लेते हैं उसके बाद भूमि का विक्रय कर देना लेकिन दिनांक 20.9.2021 को वादी को प्रतिवादीगण ने धमकी दी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

कि वे भूमि का विभाजन कराए बिना ही भूमि को दीगर जगह रहन वय कर देंगे तथा क्रेता अपनी इच्छानुसार भूमि पर कब्जा कर लेगा। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए मौखिक बंटवारे अनुसार, उनके हिस्से अनुसार एवं कब्जे अनुसार भूमि का पृथक पृथक विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि हाल ख0नं0 924, 927, 929 स्थित ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी को बिना विभाजन कराए दीगर व्यक्ति को रहन, वय नहीं करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं करे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 के अतिरिक्त अन्य सभी प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादी एवं जबाब देहन्दा की सहखातेदारी की भूमि है। वादी एवं जबाब देहन्दा के मध्य करीब 7–8 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से कोई मौखिक विभाजन नहीं हुआ था। वादी ने मनगढन्त तथ्यों पर दावा प्रस्तुत किया है। जबाब देहन्दा का उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के प्रत्येक इंच में सहखातेदार होने के नाते कब्जा एवं हिस्सा है एवं हिस्से अनुसार ही जबाब देहन्दा प्रत्येक खसरा नम्बर की भूमि पर हिस्से अनुसार काबिज है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वर्णित भूमि को जबाब देहन्दा के कब्जे अनुसार एवं हिस्सेअनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तरीके से विभाजन स्कीम मंगवाई जावे एवं बंटवारा किया जावे।

प्रस्तुत मामले में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के अभिभाषकगण द्वारा प्रकरण में मीट्स एवं बाउण्ड्स के अनुसार तहसीलदार से विभाजन स्कीम मंगवाने का निवेदन करने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.8.2022 को वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

दिनांक 5.10.2023 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के अभिभाषगण को सुना गया। उभयपक्ष के अभिभाषगण ने विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया है। फलस्वरूप तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

गोरधन बनाम केसरबाई वगैरा, दावा

(3)

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र डिक्री किया जाकर पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:-

1. केसरबाई पत्नी स्व0 रामभरोसी, रैगर हिस्सा 1/5, यशोदा पुत्री रामभरोसी, रैगर हिस्सा 1/5, सावित्री देवी पुत्री राममरोसी, रैगर हिस्सा 1/5, मंजू पत्नी स्व0 महेश, रैगर हिस्सा 1/5, पूजा पुत्री सुरेश, रैगर हिस्सा 1/10, मोनाबाई पत्नी स्व0 सुरेश, रैगर हिस्सा 1/10 की खातेदारी में भूमि ख0नं0 927 रकबा 1.09 है0 ग्राम हिंगोट्या रहेगी।
2. हेमराज पुत्र भगवानदास, रैगर हिस्सा 1/12, गोरधन पुत्र हजारी, बैरवा हिस्सा 1/6, हरिचरण पुत्र भगवानदास, रैगर हिस्सा 1/12, रामोती पत्नी स्व0 भगवानदास, रैगर हिस्सा 1/6, मिश्री पुत्री भगवानदास, रैगर हिस्सा 1/6, माया पुत्री भगवानदास, रैगर हिस्सा 1/6, मनोहरी पुत्र किशोरी, बैरवा हिस्सा 1/6 की खातेदारी में भूमि ख0नं0 924 रकबा 1.00 है0, ख0नं0 929 रकबा 0.09 है0 कुल रकबा 1.09 है0 ग्राम हिंगोट्या रहेगी।

उपरोक्त नम्बरो में जमाबंदी में वर्णित शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। उपरोक्तानुसार भूमि उपरोक्त वर्णित खातेदारों के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे एवं पृथक पृथक लगान कायम किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनूप सिंह)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास अनूप सिंह, आर0ए0एस0

उनवान

गोरधन पुत्र हजारी, बैरवा निवासी नेहरू कोलोनी, गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. केशरबाई पत्नी रामभरोसी, रैगर निवासी कोटा
2. पूजा पुत्री सुरेश, रैगर निवासी कोटा
3. मंजू पुत्री रमेश, रैगर निवासी कोटा
4. मनोहरी पुत्र किशोरी, बैरवा निवासी मोर की झौंपडी भरतून तह. सपोटरा
5. माया पुत्री भगवानदास, रैगर निवासी हिण्डौन
6. मिश्री पुत्री भगवानदास, रैगर निवासी हिण्डौन
7. मोनाबाई पत्नी सुरेश, रैगर निवासी हिण्डौन
8. यशोदा पुत्री रामभरोसी, रैगर निवासी कोटा
9. सावित्री देवी पुत्री रामभरोसी, रैगर निवासी कोटा
10. हेमराज पुत्र भगवानदास, रैगर निवासी मिर्जापुर
11. हरिचरण पुत्र भगवानदास, रैगर निवासी मिर्जापुर
12. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 90/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री आर0 के0 मिश्र, एडवोकेट, मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र डिक्री किया जाकर पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. केसरबाई पत्नी स्व0 रामभरोसी, रैगर हिस्सा 1/5, यशोदा पुत्री रामभरोसी, रैगर हिस्सा 1/5, सावित्री देवी पुत्री रामभरोसी, रैगर हिस्सा 1/5, मंजू पत्नी स्व0 महेश, रैगर हिस्सा 1/5, पूजा पुत्री सुरेश, रैगर हिस्सा 1/10, मोनाबाई पत्नी स्व0 सुरेश, रैगर हिस्सा 1/10 की खातेदारी में भूमि ख0नं0 927 रकबा 1.09 है0 ग्राम हिंगोट्या रहेगी।
2. हेमराज पुत्र भगवानदास, रैगर हिस्सा 1/12, गोरधन पुत्र हजारी, बैरवा हिस्सा 1/6, हरिचरण पुत्र भगवानदास, रैगर हिस्सा 1/12, रामोती पत्नी

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ... गंगापुर सिटी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

गोरधन बनाम केसरबाई वगैरा, दावा

(2)

स्व0 भगवानदास, रैगर हिस्सा 1/6, मिश्री पुत्री भगवानदास, रैगर हिस्सा 1/6, माया पुत्री भगवानदास, रैगर हिस्सा 1/6, मनोहरी पुत्र किशोरी, बैरवा हिस्सा 1/6 की खातेदारी में भूमि ख0नं0 924 रकबा 1.00 है0, ख0नं0 929 रकबा 0.09 है0 कुल रकबा 1.09 है0 ग्राम हिंगोट्या रहेगी।

उपरोक्त नम्बरो में जमाबंदी में वर्णित शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। उपरोक्तानुसार भूमि उपरोक्त वर्णित खातेदारों के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे एवं पृथक पृथक लगान कायम किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.3.2024 को जारी किया गया ।

(अनूप सिंह)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

(अनूप सिंह)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

10

निर्णय न्यायालय श्री जवाहर लाल जैन, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
90/2021	21.09.2021	23.8.2022

गोरधन पुत्र हजारी, बैरवा निवासी नेहरू कालोनी गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1.केशरबाई पत्नि रामभरोसी, रैगर निवासी कोटा
2 पूजा पुत्री सुरेश, रैगर निवासी कोटा
3 मंजू पुत्री रमेश, रैगर निवासी कोटा
4 मनोहरी पुत्र किशोरी, बैरवा निवासी मोर की झोपडी भरतून तह. सपोटरा
5 माया पुत्री भगवानदास, रैगर निवासी हिण्डोन
6 मिश्री पुत्री भगवानदास, रैगर निवासी हिण्डोन
7 मोनाबाई पत्नि सुरेश, रैगर निवासी हिण्डोन
8 यशोदा पुत्री रामभरोसी, रैगर निवासी कोटा
9 सावित्री देवी पुत्री रामभरोसी, रैगर निवासी कोटा
10 हेमराज पुत्र भगवानदास, रैगर निवासी मिर्जापुर
11 हरिचरण पुत्र भगवानदास, रैगर निवासी मिर्जापुर
12 सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः श्री मोहम्मद इस्लाम खान एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री आर.के.मिश्र एड. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से

निर्णय

वादी ने दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी भूमि हाल ख0नं0 924 रकबा 1.00 हेक्टर, 927 रकबा 1.09 हेक्टर, 929 रकबा 0.09 हेक्टर ग्राम हिंगोटिया में स्थित है। पक्षकारान ने अरसा करीब 7–8 साल पहले मौंके पर आपसी सहमति से भूमि का विभाजन कर रखा हैं तथा मौके पर अपने हिस्से में आयी भूमि पर वादी ने काफी रूपया खर्च करके काबिल काश्त बनाया है लेकिन अब प्रतिवादीगण की नियत खराब हो चुकी है। वे अब बिना विभाजन के ही उक्त भूमि को विक्रय करना चाहते हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण की उक्त सहखातेदारी भूमि में सहखातेदारी में बने रहने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन विवाद पैदा होते रहते हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया कि पहले आपसी सहमति से भूमि का विभाजन करवा लेते हैं उसके बाद तुम्हारे हिस्से में जो भूमि भूमि आये उसको विक्रय कर देना लेकिन प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.9.2021 वादी को धमकी दी है कि वे बिना विभाजन के ही भूमि को दीगर जगह रहन वय कर देंगे तथा क्रेता अपनी इच्छानुसार भूमि पर कब्जा कर लेगा। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी भूमि हॉल ख0न0 924, 927, 929 का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक रूप से हुए बंटवारे, उनके हिस्से अनुसार व कब्जे अनुसार भूमि का पृथक पृथक

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला कलेक्टर
सिटी (स0मा0)

विभाजन किया जावें। प्रतिवादीगण को प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे भूमि हाल ख0नं0 924,927,929 स्थित ग्राम हिंगोटिया तहसील गंगापुर सिटी को बिना विभाजन दीगर व्यक्ति को रहन वय नही करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 के अतिरिक्त अन्य सभी प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने जबाबदावे मे अंकित किया है कि वादी एवं जबाब देहन्दा की सहखातेदारी की भूमि है वादी एवं जबाब देहन्दा के मध्य करीब 7–8 वर्ष पूर्व कोई मौखिक आपसी सहमति से उक्त भूमि का विभाजन नहीं हुआ था। वादी ने मनगढंत तथ्यों पर दावा प्रस्तुत किया है। जबाब देहन्दा का उक्त ख0नं0 नम्बरान की भूमि को प्रत्येक इंस में सह खातेदार होने के नाते कब्जा एवं हिस्सा है एवं हिस्से अनुसार ही जबाब देहन्दा प्रत्येक खसरा नम्बरान की भूमि पर हिस्से अनुसार काबिज है। अतः जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वर्णित भूमि को जबाव देहन्दा के कब्जे अनुसार एवं हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउडंस् तरीके से विभाजन स्कीम मंगवाई जावे एवं बंटवारा किया जावे।

वादपत्र के समर्थन मे वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 285 ग्राम हिगोंटिया प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है।

प्रस्तुत मामले मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के वकीलों द्वारा प्रकरण मे मीट्स एवं बाउन्ड्स के अनुसार तहसीलदार से विभाजन स्कीम मंगवाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल सवंत 2071–74 ग्राम हिगोटिया का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी मे दर्ज है। वादग्रस्त भूमि की मीट्स एंड बाउन्ड्स के आधार पर भूमि के विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 924 रकबा 1.00 हेक्टर, 927 रकबा 1.09 हेक्टर, 929 रकबा 0.09 हेक्टर ग्राम हिंगोटिया मे पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एंड बाउन्ड्स से भूमि का विभाजन कर विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे उपरोक्त आदेश की पालना करे एवं राजस्व मण्डल अजमेर के

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

निर्देशानुसार स्वयं उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस वादी द्वारा भुगतान की जावेगी। प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.8.2022 को सुनाया गया ।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास जवाहर लाल जैन, आर0ए0एस0

उनवान

गोरधन पुत्र हजारी, बैरवा निवासी नेहरू कालोनी गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1.केशरबाई पत्नि रामभरोसी, रैगर निवासी कोटा
2 पूजा पुत्री सुरेश, रैगर निवासी कोटा
3 मंजू पुत्री रमेश, रैगर निवासी कोटा
4 मनोहरी पुत्र किशोरी, बैरवा निवासी मोर की झोपडी भरतून तह. सपोटरा
5 माया पुत्री भगवानदास, रैगर निवासी हिण्डोन
6 मिश्री पुत्री भगवानदास, रैगर निवासी हिण्डोन
7 मोनाबाई पत्नि सुरेश, रैगर निवासी हिण्डोन
8 यशोदा पुत्री रामभरोसी, रैगर निवासी कोटा
9 सावित्री देवी पुत्री रामभरोसी, रैगर निवासी कोटा
10 हेमराज पुत्र भगवानदास, रैगर निवासी मिर्जापुर
11 हरिचरण पुत्र भगवानदास, रैगर निवासी मिर्जापुर
12 सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 90/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री आर.के. मिश्र एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 924 रकबा 1.00 हेक्टर, 927 रकबा 1.09 हेक्टर, 929 रकबा 0.09 हेक्टर ग्राम हिंगोटिया मे पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एंड बाउन्ड्स से भूमि का विभाजन कर विभाजन स्कीम मौके पर जाकर तैयार करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 500/— फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे कि वे उपरोक्त आदेश की पालना करे एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार स्वयं उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस वादी द्वारा भुगतान की जावेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.8.2022 को जारी किया गया ।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)